राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5733/2024

1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई - 400013 में है और शाखा कार्यालय पावटा, जोधपुर में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सौरभ कुलश्रेष्ठ, पुत्र श्री प्रमोद कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष।
2. नवीन मैसी पुत्र श्री सुनील मैसी, उम्र लगभग 43 वर्ष, शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक, केशव कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 15, निम्भेरा हाउस, मंडोर रोड, पावटा, जोधपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से।

2. नितिन मित्तल पुत्र श्री डॉ. अनिल कुमार मित्तल, निवासी 52, अशोक नगर, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री अर्पित मेहता।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: सुश्री सोनू मनावत, पी.पी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

28/08/2024

1. महामंदिर पुलिस स्टेशन, जिला जोधपुर सिटी ईस्ट में दिनांक 11.07.2024 को दर्ज एफआईआर 337/2024 को रद्द करने की मांग की गई है, जो आईपीसी की धारा 406 और 120-बी के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध के लिए दर्ज की गई थी।

2. सबसे पहले याचिका से संबंधित तथ्य। वर्ष 2023 में, ब्रू ब्लेंड्स और ब्लैकस्लैप नामक साझेदारी फर्म के भागीदारों ने बैंक खाता खोलने के अनुरोध के साथ याचिकाकर्ता बैंक से संपर्क किया। उन्होंने दिनांक 20.01.2023 को खाता खोलने का फॉर्म जमा किया। याचिकाकर्ता बैंक की पावटा शाखा में खाता संख्या 50200077856106 खोला गया। 03.06.2024 को, आरोपी नंबर 1, श्री हर्षवर्धन खत्री ने अपने वकील के माध्यम से याचिकाकर्ता बैंक को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस के माध्यम से बैंक को फर्म के भागीदारों के बीच विवाद की जानकारी दी गई। बैंक से अनुरोध किया गया कि वह खाता फ्रीज कर दे और निकासी, जमा और हस्तांतरण सहित सभी बैंकिंग कार्यों को निलंबित कर दे।

2.1 जवाब में, याचिकाकर्ता संख्या 2 (नवीन मैसी/आरोपी संख्या 2 नामक बैंक अधिकारी) ने आरोपी संख्या 1, जो फर्म में भागीदार है, के निर्देशों का पालन करते हुए और प्रचलित बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार, 03.06.2024 को खाता फ्रीज कर दिया। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 (नितिन मित्तल) ने आरोपी संख्या 1 (हर्षवर्धन सिंह) के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए और याचिकाकर्ता बैंक पर अनुचित दबाव डालते हुए, धारा 406 और 120-बी आईपीसी के तहत दिनांक 11.07.2024 को एफआईआर (संख्या 337/2024) दर्ज कराई। इसके बाद, जांच अधिकारी ने 02.08.2024 को बीएनएसएस की

धारा 35(3) के तहत एक नोटिस जारी किया, और याचिकाकर्ता बैंक और उसके कर्मचारियों को परेशान करने की बात कही, इस तथ्य के बावजूद कि बैंक अधिकारियों/याचिकाकर्ताओं ने खाते से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। इसलिए, यह याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

4. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, यह पता चला है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 बैंक के अधिकारियों और याचिकाकर्ता नंबर 2, जो शाखा प्रबंधक बताए गए हैं, को जांच अधिकारी द्वारा बैंक खाते की प्रविष्टियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाया जा रहा है, जो शिकायतकर्ता और मुख्य आरोपी के बीच विवाद का विषय है, जो कुछ वाणिज्यिक लेनदेन के कारण एक-दूसरे से अलग हो गए थे, जो उन दोनों के बीच सफल नहीं हुआ।

5. मैं खुद को यह समझाने में असमर्थ हूँ कि बैंक के अधिकारियों और शाखा प्रबंधक से सूचना माँगना उन्हें कैसे दोषी बनाता है ताकि उन्हें एफआईआर में आरोपी बनाया जा सके। उनकी भूमिका अधिकतम सूचना प्रदान करना है, जो शिकायतकर्ता या आरोपी के पक्ष में न होकर किसी स्वतंत्र गवाह की प्रकृति की है।

6. किसी भी मामले में, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, 1891 के प्रावधानों के अनुसार जाँच अधिकारी को सूचना माँगने की स्वतंत्रता है, जिसके तहत बैंक द्वारा दी गई सूचना साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।

7. इसके अलावा, जाँच अधिकारी को शिकायतकर्ता या आरोपी के माध्यम से सूचना माँगने की भी स्वतंत्रता है, जो निस्संदेह बैंक के ग्राहक हैं और यदि सूचना माँगी जाती है तो उन्हें प्रदान करना उनका कर्तव्य है।

8. किसी भी मोर्चे पर, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ताओं को जाँच अधिकारी की मर्जी के अनुसार क्यों दौड़ाया जाए। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रश्नगत एफआईआर टिकने योग्य नहीं है।

9. इस आधार पर याचिका स्वीकार की जाती है। महामंदिर पुलिस स्टेशन, जिला जोधपुर सिटी ईस्ट में दर्ज एफआईआर 337/2024 दिनांक 11.07.2024, जिसमें याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आईपीसी की धारा 406 और 120-बी के तहत अपराध दर्ज किया गया था, को निरस्त किया जाता है, जिसके परिणाम आगे जारी रहेंगे।

10. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।